अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

आर० एम० अपील वाद सं० 43 आर० 15/2018–19

5 // 11.04.23

साधु चरण महतो पिता–स्व० माघे महतो

निवासी लांदुपडीह टोला–नरसिंह लोवाडीह थाना– सोनाहातु, जिला रॉची .... अपीलकर्त्ता

बनाम

1. स्व० कालीपदो सिंह मुण्डा
द्वारा प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारी
(1क) सुरेश सिंह मुण्डा
(1ख) नरहरि सिंह मुण्डा
(1ग) विजय सिंह मुण्डा
सभी पिता कालीपदो मुण्डा
2. सागर सिंह मुण्डा
पिता स्व० नरहरि सिंह मुण्डा
निवासी ग्राम –सितुमडीह, थाना– सोनाहातु, जिला रॉची

.... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील उपरोक्त अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, रॉची द्वारा आर० एम० वाद सं० 04/2008–09 मे दिनांक 28.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, रॉची ने उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्त्ता एवं अन्य के खिलाफ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत दायर भू वापसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए मौजा लान्दुपडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 1, के खेवट सं० 57/1, खाता सं० 1086, प्लॉट सं० 4300 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4307 रकबा 0.60 एकड़, प्लॉट सं० 4310 रकबा 1.39 एकड़, प्लॉट सं० 4312 रकबा 0.76 एकड़, प्लॉट सं० 4296 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4299 रकबा

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

0.11 एकड एवं खाता सं० 1097, प्लॉट सं० 4311 रकबा 1.51 एकड एवं प्लॉट सं० 4313 रकबा 3.07 एकड भूमि को उत्तरवादी के पक्ष मे वापस करने का आदेश पारित किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार–

मौजा लान्दुपडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 1, खाता सं० 1086, प्लॉट सं० 4300 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4307 रकबा 0.60 एकड़, प्लॉट सं० 4310 रकबा 1.39 एकड़, प्लॉट सं० 4312 रकबा 0.76 एकड़, प्लॉट सं० 4296 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4299 रकबा 0.11 एकड एवं खाता सं० 1097, प्लॉट सं० 4311 रकबा 1.51 एकड एवं प्लॉट सं० 4313 रकबा 3.07 एकड भूमि आर० एस० खतियान मे खेवट सं० 57/1 के अन्तर्गत जमींदार सागर सिंह के नाम से दर्ज है। जमींदार सागर सिंह अपने पीछे पाँच पुत्र 1) सीताराम सिंह मुण्डा, 2) नरहरि सिंह मुण्डा, 3) जनक सिंह मुण्डा 4) शंभु नाथ मुण्डा 5) गंगाधर सिंह मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। बड़े पुत्र सीताराम सिंह मुण्डा की नावल्द मत्यु हो गई। नरहरि सिंह मुण्डा के दो पुत्र कालीपदो सिंह मुण्डा एवं सागर सिंह मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हुए। जनक सिंह मुण्डा सिंह मुण्डा अपने पीछे एक पुत्र यागेश्वर को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। शंभु नाथ सिंह मुण्डा अपने पीछे दो पुत्र पवन सिंह मुण्डा एवं महावीर मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हो गए एवं गंगाधर सिंह मुण्डा अपने पीछे दो पुत्र मुचीराम सिंह मुण्डा एवं बुद्धेश्वर सिंह मुण्डा का छोड़कर स्वर्गवास हो गए।

उत्तरवादी द्वारा खेवटदार सागर सिंह के सभी वंशजो को पक्षकार नही बनाया गया है, इस लिए यह वादी non-joinder of necessary party के सिद्धान्त से प्रभावित होता है।

प्रश्नगत भूमि मे से खाता सं० 1088 अन्तर्गत दर्ज भूमि आर० एस० खतियान मे बकास्त दर्ज है, जबकि खाता सं० 1097 की भूमि गैरमजरूवा दर्ज है, जो मुण्डारी खुंटकट्टी के अन्तर्गत आता है। मौजा– लान्दुपडीह, थाना– सोनाहातु जिला–राँची की भूमि सरकार मे निहित

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

नही हुआ है तथा मुण्डारी खुँटकटी जमींदार को उपरोक्त भूमि को किसी भी रैयत के साथ बंदोबस्त करने का अधिकार प्राप्त है। मौजा– लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची के खाता प्लॉट संख्या–4297 4307, 4300, 4310, 4312, 4296, 4299 कुल रकवा 7.00 एकड़ भूमि की स्थाई बंदोबस्ती उत्तरवादी के पूर्वजो ने अपीलकर्त्ता के पिता के पक्ष मे दिनांक 28.03.1950 ई० को किया तथा उन्हे उक्त भूमि पर दखल प्रदान किया। विवादित भूमि टांड़ तीन एवं दोन तीन जमीन थी, जिसको अपीलकर्त्ता के पिता ने कोड़कर बनाया । इसी प्रकार खाता सं०–1097 प्लॉट सं० –4311 रकवा 1.51 एकड एवं प्लॉट सं०–4313 रकवा 3.07 एकड़ भूमि की रैयती बंदाबस्ती उत्तरवादी के पूर्वज द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता के पक्ष मे किया गया एवं उक्त भूमि पर उन्हे दखल प्रदान किया गया। प्लॉट सं० 4311 एवं 4313 परती जमीन थी, जिसे अपीलकर्त्ता के पिता ने कोड़कर बनाया। अपीलकर्त्ता उपरोक्त प्लॉट सं० 4313 रकवा 3.07 ए0 मध्ये 0.36 ए० एवं प्लॉट सं० 4311 रकवा 1.51 ए0 जमीन पर दखल है। विवादित भूमि को अपीलकर्त्ता के पिता ने रैयती बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त कर एवं विवादित भूमि की मालगुजारी भी अपीलकर्त्ता अदा करते चले आ रहे है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत वाद संख्या–29/06 का फैसला अपीलकर्त्ता के पक्ष मे हुआ है एवं तदानुसार उपरोक्त भूमि का बंडा पर्चा अपीलकर्त्ता के नाम से निर्गत हुआ है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा लान्दुपडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 1, के खेवट सं० 57/1, खाता सं० 1086, प्लॉट सं० 4300 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4307 रकबा 0.60 एकड़, प्लॉट सं० 4310 रकबा 1.39 एकड़, प्लॉट सं० 4312 रकबा 0.76 एकड़, प्लॉट सं० 4296 रकबा 0.17 एकड़, प्लॉट सं० 4299 रकबा 0.11 एकड एवं खाता सं० 1097, प्लॉट सं० 4311 रकबा 1.51 एकड एवं प्लॉट सं० 4313 रकबा 3.07 एकड भूमि आर० एस० खतियान के अनुसार मुण्डारी खुँटकट्टी कास्तकारी के अन्तर्गत क्रमशः बकास्त एवं गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। खेवट सं० 57/1 सागर सिंह के नाम

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

से दर्ज है, जो उस ग्राम के खुँटकट्टीदार थे। सागर सिंह अपने पीछे पाँच पुत्र 1) सीताराम सिंह मुण्डा, 2) नरहरि सिंह मुण्डा, 3) जनक सिंह मुण्डा 4) शंभु नाथ मुण्डा 5) गंगाधर सिंह मुण्डा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। सागर सिंह के मरणोपरान्त उनके बड़े पुत्र सीताराम सिंह मुण्डा उपरोक्त सारे जमीन के मालिक हुए । सीताराम सिंह मुण्डा के नावल्द मृत्यु होने के पश्चात् जमीनदार सागर सिंह के द्वितीय पुत्र नरहरि सिंह मुण्डा सारे जमीन के मालिक हुए। उत्तरवादी जमीन मालिक एवं खुँटकट्टीदार नरहरि सिंह मुण्डा के पुत्र है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन का हस्तानान्तरण उपायुक्त के अनुमति के बिना किया जाना संभव नहीं है। अपीलकर्त्ता छो० का० अधि0 की धारा–240 का उल्लंघन कर प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से दखलकार है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि खतियान के अनुसार बकास्त एवं गैर मजरूआ दर्ज है। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि तत्कालीन जमींदार द्वारा दिनांक 28.03.1950 ई० को विवादित भूमि अपीलकर्त्ता के पिता के पक्ष मे स्थाई बंदोबस्ती किया गया है, तबसे उक्त भूमि पर उनको दखल प्राप्त है तथा उनके पिता ने विवादित भूमि कोड़कर खेती लायक बनाया तथा भूमि का लगान अदा करते चले आ रहे है। हाल सर्वे के दौरान छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत वाद संख्या–29/06 का फैसला अपीलकर्त्ता के पक्ष मे हुआ है एवं बंडा पर्चा उनके नाम से निर्गत है, जो प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता के दखल को सम्पुष्ट करता है।

उपरोक्त आर० एम० वाद सं० 04/2008–09 मे दिनांक 28.08.2018 को पारित आदेश पारित आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर कोई विवेचना नही किया गया है।

अतः यह अपील वाद स्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, रॉची द्वारा आर० एम० वाद सं० 04/2008–09 मे दिनांक 28.08.2018 को पारित भू वापसी के आदेश को निरस्त करते हुए उक्त वाद विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, रॉची को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक मे दोनो पक्ष को सुनावाई का प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त उक्त वाद मे नये सिरे से आदेश पारित करे।

इस आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू रॉची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.05.11 16:10:07 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:188d:1bbc:988a:358d